बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग
–: अधिसूचना :–

संचिका संख्या–6/अ0–03–01/2017 पटना, दिनांकः–

श्री असदुल्लाह गालिब अंसारी, राज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), पटना विशेष अंचल, पटना का पूर्व में अधिसूचना संख्या 1892 दिनांक 02.05.2025 द्वारा दिनांक 05.05.2025 से 18.05.2025 तक कुल 14 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इसी क्रम में श्री अंसारी द्वारा प्रतिवेदित दिनांक 19.05.2025 से 31.05.2025 तक अवकाश अवधि को विस्तारित करने का आवेदन प्राप्त है। अतः अधिसूचना संख्या–1892 दिनांक 02.05.2025 द्वारा स्वीकृत उपार्जित अवकाश अवधि दिनांक 05.05.2025 से 18.05.2025 के साथ समेकित रूप से बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 05.05.2025 से 31.05.2025 तक कुल 27 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्री अंसारी के पक्ष में दिनांक 08.12.2024 तक देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (300–27=273) (दो सौ तिहतर) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य–कर विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–6/अ0–03–01/2017 2261 पटना, दिनांकः– 03/06/25

प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/राज्य–कर अपर आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य–कर उपायुक्त–सह–नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर एवं श्री असदुल्लाह गालिब अंसारी, राज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), पटना विशेष अंचल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

30/5/25

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य–कर विभाग

बिहार, पटना।